

सुरक्षति गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिये छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

28 अप्रैल, 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित गर्भपात देखभाल पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम (National Consultation on Comprehensive Abortion Care) में छत्तीसगढ़ को सुरक्षति गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिये प्रथम पुरस्कार मिला है।

प्रमुख बटु

- मातृत्व स्वास्थ्य के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. शैलेंद्र अग्रवाल और राज्य सलाहकार अभलिषा शर्मा रात्रे ने छत्तीसगढ़ की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया।
- उल्लेखनीय है कि देश में सुरक्षति गर्भपात सेवाओं की नगिरानी के लिये मेडिकल टर्मनिशन आफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट लागू किया गया है।
- मेडिकल टर्मनिशन आफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) एक्ट, 2021 के अनुसार गर्भवती महिला 24 हफ्ते तक गर्भपात करा सकती है। यौन उत्पीड़न, दुष्करम, नाबालगि या गर्भावस्था के दौरान वैवाहिकि स्थिति में बदलाव (वधिया और तलाक), शारीरिक रूप से अक्षम और मानसिक रूप से बीमार महिलाओं को गर्भपात की अनुमति है। साथ ही वे महिलाएँ भी गर्भपात करा सकती हैं, जिनके गर्भ में पल रहे भ्रूण में विकृति हो।
- प्रदेश में नजि चिकित्सालयों में सुरक्षति गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता एवं एमटीपी एक्ट के पालन की नगिरानी के लिये 'ई-कल्याणी एप' तैयार किया गया है।
- इस एप के माध्यम से नजि चिकित्सालय अधिनियम के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने के लिये आवेदन कर सकती हैं, जिसकी ज़िला स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा कर अनुमति प्रदान की जाती है।
- वर्तमान में प्रदेश में 'ई-कल्याणी एप' में 136 नजि चिकित्सालय पंजीकृत हैं, जहाँ एमटीपी एक्ट के तहत सुरक्षति गर्भपात सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। इनके अलावा 193 शासकीय चिकित्सालयों में भी सुरक्षति गर्भपात संबंधी सेवाएँ उपलब्ध हैं।
- राज्य में सुरक्षति गर्भपात सेवाओं के संचालन में आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन (Ipas Development Foundation) द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

